Dr. SALIM RAJ
CHAIRMAN
Cabinet Minister Status

Ph. No. : +91 771 4914840
Office : Collectorate Chowk, Raipur-492001 (C.G.)

CHHATTISGARH STATE WAQF BOARD

(Constituted under Waqf Act. 1995 as amended 2013, Govt of India)

Ref. No. 156/2026 Date 25/05/2026

प्रति,

संभाग आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा छ.ग.
कमिश्नर, जिला रायपुर छ.ग.
कलेक्टर, समस्त जिला, छत्तीसगढ़
पुलिस अधीक्षक, समस्त जिला, छत्तीसगढ़

विषयः—छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम दरगाहों, उर्सों एवं मज़हबी जलसों में डी.जे., नाच—गाना, धुमाल और गैर शरई कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने तथा आवश्यक दिशा—निर्देश जारी करने बाबत्।

संदर्भः—जमात रजा ए मुस्तफा, रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक 06/2026 दिनांक 23.05.2026।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में जमात रजा ए मुस्तफा, छत्तीसगढ़ द्वारा निवेदन किया गया है कि, वर्तमान समय में प्रदेश की अनेक दरगाहों और उर्स के अवसर पर पूर्व परम्परा एवं शरीअत के विरूद्ध तेज आवाज में डी.जे., गाना—बजाना तथा जुलूसों में नचनीयों को बुलवाकर गैर—मुनासिब एवं फूहड़ कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जो कुरआन और हदीस के विरूद्ध है और सूफी संतों/धर्मगुरूओं के आदेशों की अवहेलना है, जिसके कारण आम जनमानस के बीच गलत संदेश जा रहा है और समाज का वातावरण भी दूषित हो रहा है। उर्स के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता, अमन व शांति का वातावरण कायम रखना है।

अतः प्रदेश में स्थित दरगाहों/मजारों में उर्स के अवसर पर संदल—चादर का समय अंतिम रात्री 11:00 बजे निर्धारित किया जाये, संदल—चादर में डी.जे. /धुमाल/आतिशबाजी को प्रतिबंधित किया जाये, जो संस्था/व्यक्ति द्वारा डी.जे. /धुमाल आदि बुलवाता/लगवाता है उस पर राशि 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाये तथा डी.जे./धुमाल आदि जब्ति की कार्यवाही की जाये साथ ही उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र के माध्यम से किये गये निवेदन पर शीघ्र कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

(डॉ.सलीम राज)
अध्यक्ष
छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड
(केबिनेट मंत्री दर्जा)

Dr. SALIM RAJ
CHAIRMAN
Cabinet Minister Status

Ph. No. : +91 771 4914840
Office : Collectorate Chowk, Raipur-492001 (C.G.)

CHHATTISGARH STATE WAQF BOARD

(Constituted under Waqf Act. 1995 as amended 2013, Govt of India)

Ref. No. .... **Date** ....

पृ. क्रमांक / 157 / 2026 रायपुर दिनांक 25/05/2026

1. **निज सचिव, महामहिम राज्यपाल,** छ.ग.प्रदेश, राजभवन, रायपुर छ.ग.।
2. **निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री,** छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री निवास, रायपुर छ.ग.।
3. **निज सचिव, माननीय गृह मंत्री / माननीय उप–मुख्यमंत्री,** छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
4. **निज सचिव, माननीय मंत्री,** छ.ग.शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
5. **समस्त माननीय सदस्य,** छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर छ.ग.।
   की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर छ.ग., को सूचनार्थ।
7. **प्रबंध कमेटी / मुतवल्ली कमेटी / इंतेजामिया कमेटी / उर्स कमेटी, समस्त दरगाह,** समस्त जिला, छत्तीसगढ़, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. **जमात रजा ए मुस्तफा, रायपुर छत्तीसगढ,** को संदर्भित पत्र के सम्बंध में सूचनार्थ।

अध्यक्ष
छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड
(केबिनेट मंत्री दर्जा)

+91 89626 49101
MASLAK-E-AALAHAZRAT ZINDABAAD
Jamat Raza-e-Mustafa
جماعت رضائے مصطفیٰ
Chhattisgarh State Office
Keshkal .494331
SR collection HDFC Bank ke Baju keshkal district kondagaon

क्र. J.R.M. 06./2026 23/05/2026.

प्रति,

1.माननीय मुख्यमंत्री महोदय,छ.ग शासन

2.माननीय गृह मंत्री महोदय, छ.ग शासन

3.माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री महोदय, छ.ग शासन

4.माननीय अध्यक्ष वक्फ बोर्ड महोदय छ.ग शासन

विषय: छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम दरगाहों, उर्सों एवं मजहबी जलसों में डीजे, नाच-गाने और गैर-शरई कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि वर्तमान समय में प्रदेश की अनेक दरगाहों और उर्सों में उर्स-ए-पाक जैसे मुकद्दस अवसरों पर दीनी रिवायतों तथा बुजुर्गाने दीन की तालीमात के विरुद्ध डीजे, तेज आवाज में गाने-बजाने, नाच-गाने तथा जुलूसों में नचनियों को बुलाकर गैर-मुनासिब एवं फूहड़ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे गैर-शरई और अनुचित कार्यों से उर्स की रूहानियत, अदब-ओ-एहतराम तथा बुजुर्गाने दीन की तालीमात को गंभीर क्षति पहुंच रही है एवं आम जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है।

उर्स का वास्तविक उद्देश्य औलिया-ए-किराम और बुजुर्गाने दीन की याद को ताजा करना, तिलावत-ए-कुरआन, जिक्र-ओ-अजकार, तकरीर, नात शरीफ, फातिहा तथा उम्मत में मोहब्बत, अमन और भाईचारे को बढ़ावा देना होता है। किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि कुछ लोग उर्स को तमाशा, दिखावा और गैर-

समस्त थाना प्रभारी से पालन अग्रसर

S.P. कोण्डागांव

दीनी रस्मों का माध्यम बनाकर इसकी पवित्र फिजा को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उर्स शरीफ बदनामी का कारण बनता जा रहा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त दरगाहों, खानकाहों, अंजुमनों एवं उर्स कमेटियों के मुतवल्लियान हजरात को सख्त निर्देश एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं कि उर्स एवं मजहबी जुलूसों में डीजे, नाच-गाने, नचनियों को बुलाकर किए जाने वाले गैर-मुनासिब कार्यक्रम, बेपर्दगी तथा गैर-शरई आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि उर्स की वास्तविक रूह, पवित्रता, अदब एवं दीनी माहौल बरकरार रह सके।

आशा है कि इस महत्वपूर्ण दीनी एवं सामाजिक विषय पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा।

अरमान मेमन

निवेदक, Arman 23/05/26

जमाअ़त रज़ा ए मस्तफा

छत्तीसगढ़

1.] अख्तर मेमन (अध्यक्ष, JRM केशकाल)
2.] सैफुर रज़ा (बसना, सरायपाली)
3.] गुलाम सरवर रज़वी (भिलाई)
4.] तालिब जोया (राजनांदगांव)
5.] रेहान रज़ा (नगरी, धमतरी)
6.] अनस रज़ा (कांकेर)
7.] असद रज़ा (बस्तर)
8.] अख्तर अली (रायपुर)
9.] इशहाक अंसारी (बिलासपुर)
10.] शाहिद खान

11.] आरिफ अशरफ भिलाई
12.] इमरान अली, —।—
13.] सय्यद फिरोज —।—
14.] वारिस कुरैशी, केशकाल
15.] मोबिन नूरानी, —।—
16.] हुसैन गौरी, राजनांदगांव
17.] इंतेखाब आलम, भिलाई
18.] सिराज अली, भिलाई
19.] समीर खान, भिलाई
20.] तौफीक रज़ा, —।—
21.] अर्शी खान, केशकाल
22.] ~~शकील~~ नासिर, भिलाई
23.] शेख आवेश, रायपुर
24.] साजिद हुसैन सिद्दीकी, भिलाई
25.] मोहम्मद बिलाल, बसना
26.] हुसैन रज़ा, रायपुर
27.] सलीमुद्दीन अहमद

मोहम्मद (कारी) ...

मो. नाजिम अशरफी

Gulam Mahmood Ahmed Quadri